न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 121/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
स्व0 श्री खंगाराराम के कायम मुकामः– 1. जबरसिंह पुत्र स्व.खंगाराराम 2. छगनसिंह पुत्र स्व.खंगाराराम 3. भंवरसिंह पुत्र स्व.खंगाराराम 4. दाउसिंह पुत्र स्व.खंगाराराम 5. बाबूसिंह पुत्र स्व.खंगाराराम 6. तगतसिंह पुत्र स्व.खंगाराराम के कायम मुकाम– 6.1 पानीदेवी पत्नी स्व.तगतसिंह 6.2 प्रकाश पुत्र स्व.तगतसिंह 6.3 मदन पुत्र स्व.तगतसिंह 6.4 दिनेश पुत्र स्व.तगतसिंह सभी जातियान– राजपुरोहित निवासीं– बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा।		1. खीमसिंह पुत्र गंगासिंह 2. सोनाराम पुत्र मिसराराम 3. मोटाराम पुत्र मिसराराम 4. मांगीलाल पुत्र मिसराराम 5. रामसिंह पुत्र मिसराराम 6. गंगाराम पुत्र हीराराम 7. मंगलाराम पुत्र हीराराम 8. रूपाराम पुत्र हीराराम 9. भंवरकंवर पत्नी अर्जुनदान सभी निवासीगण करमावास तहसील समदडी, जिला बालोतरा 10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.11.2020 जो उपखंड अधिकारी, सिवाना के द्वारा प्रकरण संख्या 43/2019 अनवान खीमसिंह बनाम खंगाराराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री चैनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री करणसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,6,7,8 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 06 नवम्बर 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बामसीन के ख0सं0 967/218 व ख0सं0 969/218 रकबा 0.05 बीघा व 0.05 बीघा भूमि उनकी खातेदारी की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आई हुई है। रेस्पो0 संख्या एक के खेत खसरान भूमि के पास पडौसीगण अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस की भूमियाँ आई हुई है। रेस्पो0 संख्या एक खेत खसरान की भूमि को अन्य पडौसी खातेदार अवैध व अनुचित तरीके से जबरन दबाकर हडप करना चाहते है तथा हमेशा ही खेत की सीमाचिन्हों व माठो को लेकर अतिक्रमण करने का विवाद रहता है। तब रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा तहसीलदार कार्यालय को सीमाज्ञान कराने बाबत आवेदन करने पर पटवारी हल्का की ओर से सीमाज्ञान करवाना चाहा पर मौके पर विवाद हो जाने से सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। ऐसे में उपरोक्त विवाद को सुलझाने के लिये रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अपने खेत खसरान भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2020 के द्वारा स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के खसरान भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 1.7.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2020 आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश डिफेक्टिव होने व अपीलान्ट को सुने बिना ही पारित किया गया है। पिछले एक डेढ वर्ष से कोरोना महामारी होने से न्यायालय कार्यवाही की सुचारू रूप से नहीं चल रही थी और न ही परिवहन साधन उपलब्ध नहीं होने से आनन फानन में आदेश पारित किया है। तत्पश्चात कोरोना महामारी से छूट मिलने पर अधीनस्थ न्यायालय से आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश कर दी गई अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा सहायक कलेक्टर सिवाना न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2018 को धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत अनवान खंगाराराम बनाम नेतीराम वगैराह का वाद पेश किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खेत खसरान संख्या 211 व 212 में विप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने व मोके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया जो वर्तमान में भी प्रभावी है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त स्थगन आदेश को देखते हुए जानबूझकर एक अन्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया तथा मिलीभगती करते हुए गलत रूप से एकपक्षीय आदेश पारित करवा लिया। रेस्पो0 संख्या एक उक्त आदेश की आड में रेस्पो0 संख्या 10 के साथ अपीलान्ट के हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि एक ही विवाद में दो अलग–अलग आदेश पारित नहीं किये जा सकते थे। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और प्रकरण में आदेश पारित होने के पश्चात कोरोना महामारी के कारण समय पर जानकारी नहीं हो पाई। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त ख0सं0 212 में पुराने समय से ही पुश्तैनी स्थाई ढाणी बनी हुई है जिसके पश्चिम में रेस्पो0 संख्या एक के ख0सं0 967/218 व 969/218 अपीलार्थी की भूमि आई हुई है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलार्थी के खेतों की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि विपरित होने, अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित होने तथा डिफेक्टिव होने से निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1,6,7,8 के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बामसीन के ख0सं0 967/218 व ख0सं0 969/218 रकबा 0.05 बीघा व 0.05 बीघा भूमि उनकी सहखातेदारी की आई हुई है। रेस्पो0 संख्या एक के खेत खसरान भूमि के पास पडौसीगण अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस की भूमियॉ आई हुई है। रेस्पो0 संख्या एक खेत खसरान की भूमि को अन्य पडौसी खातेदार अवैध व अनुचित तरीके से जबरन दबाकर हडप करना चाहते है तथा हमेशा ही खेत की सीमाचिन्हों व माठो को लेकर अतिक्रमण करने का विवाद रहता है। तब रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा तहसीलदार कार्यालय को सीमाज्ञान कराने बाबत आवेदन करने पर पटवारी हल्का की ओर से सीमाज्ञान करवाना चाहा पर मौके पर विवाद हो जाने से सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। ऐसे में उपरोक्त विवाद को सुलझाने के लिये

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अपने खेत खसरान भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अन्य अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई। तत्पश्चात लम्बे समय तक वकालतनामा पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए रेस्पो0 संख्या एक की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2020 के द्वारा स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के खसरान भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया है जो विधि अनुरूप होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि की सीमाओं का सीमाज्ञान और पत्थरगढी की कार्यवाही करने का अधिकार रखता है और इसी अधिकार के तहत अपने खेतों की सीमाओं की सुरक्षा हेतु धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण को निमयानुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा लम्बे समय तक वकालतनामा पेश नहीं किया तब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या एक खीमसिंह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2020 के द्वारा स्वीकार करते हुए उनके खेत ख0सं0 967/218 व 969/218 रकबा 0.05 बीघा व 0.05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर मनन एवं चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 969/218 व 967/218 के कुल रकबा 10 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र में संस्थित विप्रार्थीगण अपीलान्ट एवं अन्य

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को अपना पक्ष रखे जाने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा पैरवी किये जाने हेतु अपनी अण्डरटेकिंग दी गई परन्तु वकालतनामा पेश नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई है। चूंकि अपीलान्ट रेस्पो0 संख्या एक के खेत ख0सं0 967/218 व 969/218 की भूमि के खेत खसरा संख्या 211, 212 व 214 के पडौसी खातेदार है जिन्हें अपना पक्ष रखे जाने का एवं सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों अनुसार आवश्यक है। न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने में न्याय होते दिखना भी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2020 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर खेत ख0सं0 967/218 व 969/218 की रकबा भूमि की पक्के नेखमबन्दी करने के आदेश पारित किये गये है जिसे न्यायोचित व विधि अनुकूल नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार समस्त विवेचन व विश्लेषण उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में संस्थित सभी पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन आदेश में वर्णित सभी पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर